**न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू**
**पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.**

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | दावा 88, RTA | 02.02.2024 | 28.03.2024 |

सरिता पुत्री स्व. बालुराम पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का मोहल्ला, रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

प्रतिवादी

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित :— अधिवक्ता श्री जसवीर एडवोकेट वादी

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टीए. का पेश कर निवेदन किया कि वादीनी

1. यहकि वादीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1180/217 तादादी 0.1012 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1181/217 तादादी 16.2759 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल तादादी 16. 3771 हैक्टयर वाके रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 101 है तथा पुराने खाता संख्या 101 है, जिसमें वादीया का 1/28 हिस्सा है। जिसके खातेदार वादीया के पिता बालुराम थे, जिनके फौत होने पर उनका विरातसन इंतकाल नामान्तकरण दर्ज हुआ है। वादीया का नाम जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में क्रम संख्या 12 पर अंकित है।

2. यहकि वादीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 494/307 तादादी 3.1489 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 3.1489 हैक्टयर वाके रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 194 है तथा पुराने खाता संख्या 170 है, जिसमें वादीया का 1/7 हिस्सा है। जिसके खातेदार वादीया के पिता बालुराम थे, जिनके फौत होने पर उनका विरातसन इंतकाल नामान्तकरण दर्ज हुआ है। वादीया का नाम जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में कंम संख्या 04 पर अंकित है।

3. यह कि उक्त विरासतन इंतकाल में वादीया का नाम सरिता की जगह फूली त्रुटीवश दर्ज हो गया है, वादीया का सही व वास्तविक नाम सरिता है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से वादीया को फूली पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम फूलीअंकित हो गया।

4. यह कि राजस्व रिकार्ड में वादीया फूली देवी का वास्तविक नाम सरिता है और ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यहकि राजस्व रिकार्ड में नाम में त्रुटी होने से वादीया को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड आदि में उसका सही नाम सरिता है। नाम में त्रुटी होने की वजह से वादीया को सरकारी व गैरसरकारी योजनाऐ लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है व वादीया ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार से नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, तो वादीया ने तहसीलदार महोदय, चूरू से निवेदन किया पर तहसीलदार महोदय ने उक्त दावा नामा संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 29.01.2024 को वादाधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

6. यह कि नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है तथा प्रतिवादी [illegible] प्रार्थना पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होने नाम में संशोधन [illegible] दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादीया उक्त कृ[illegible] से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

7. यहकि वादगत भूमि रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके सम्बंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादीया का दावा स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1180/217 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1181/217 तादादी 16.2759 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल तादादी 16.3771 हैक्टयर वाके रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू व कृषि भूमि खसरा नम्बर 494/307 तादादी 3.1489 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 3.1489 हैक्टयर वाके रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू में खातेदार फूली देवी की जगह सरिता पुत्री बालुराम संशोधित किये जाने का आदेश व डिकी बहक वादीया जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें व अन्य अनुतोष हितकर वादीया हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावे

वादीनी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई जांच रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार तहसीलदार वादीनी फुलीदेवी व सरिता दोनों एक ही महिला के दो नाम है व फुली देवी के स्थान पर सरिता किये जाने की अभिशंसा की जाती है।

तहसीलदार चूरू की जांच रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी 1180/217, 1181/217, 494/307 रोही ग्राम जसरासर वादीया का नाम फुली है रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार वादीनी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम सरिता ही है तथा फुली व सरिता दोनों एक ही महिला के दो अलग–अलग नाम है।

वादीनी द्वारा पेश दावा एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि बादीनी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। राजस्व रिकार्ड में वादीनी का गलत नाम फुली अंकित चला आ रहा है जिससे वादीनी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादीनी वादगत कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार है इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज नाम को दस्तावेजों के अनुरूप दुरुस्त करवाने का अधिकार है। वादीनी के नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

## निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ पत्र रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1180/217 तादादी 0.10.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1181/217 तादादी 16.2759 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल तादादी 16.3771 हैक्टयर वाके रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू व कृषि भूमि खसरा नम्बर 494/307 तादादी 3.1489 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 3.1489 हैक्टयर वाके रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी का नाम फुली के स्थान पर सरिता किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
कार्यपालक मजिस्टेट
चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
**(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)**
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

सरिता पुत्री स्व. बालुराम पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का मोहल्ला, रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 08 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री जसवीर एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1180/217 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1181/217 तादादी 16.2759 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल तादादी 16.3771 हैक्टयर वाके रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू व कृषि भूमि खसरा नम्बर 494/307 तादादी 3. 1489 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 3.1489 हैक्टयर वाके रोही जसरासर तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी का नाम फुली के स्थान पर सरिता किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28 माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं / उपखण्ड अधिकारी
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested